



प्रतिबन्धित नमूना मापदंड
2025

प्रकार सरकारी बहस सूची गई। प्रकार सरकारी न बहस के दौरान प्रस्ताव

है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शक्ति के साथ निराकरण किया जावे।
किसी तरह इतिहासिक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता
उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिठावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए
अप्रामाणीय नहीं है। अप्रामाणीय बहस की तथ्या बहस में निवेदन किया कि
प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर अप्रामाणीय को जारि नोटिस तलब किया गया।

विकेता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
3(1)(2X) के अनुसार अमानक (sub-standard) स्तर को होना पया गया। अतः आवेदक ने
मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया भावा(khoya) एक.एस.एस.ए. की धारा
एल0एफ10/4464/एच/2025/4802 दिनांक 18.11.2025 के अनुसार विकेता से वास्त
ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में
अधिकारी, टोक के पत्र क्रमांक एक.एस.एस.ए./2025/4566 दिनांक 02.12.2025 के द्वारा
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

की।
खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त
भाग मय फार्म में 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर
तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ

कई रिपोर्ट तैयार की।
नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाते में लिया तथा मौके पर
नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि वेपर स्थिर व देपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को
कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर
आई-4563 नीचे से ऊपर तक गोलार्ध में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धान से बाँध
अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोक की हस्ताक्षर श्रृंखला देपर स्थिर नं.
तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कमाज में लपेटकर गोंद से
हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी
चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4563 दर्ज कर, आवेदक ने
नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह
अच्छी तरह हिला-मिलाकर शिशियों के बर्तन को अच्छी तरह एयरट्राइट बन्द कर, चारों
भरकर, प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित 40 प्रतिशत वाली फार्मलिन की 20-20 बूँदें डालकर
खारिस्टिक की साफ व सूखी धार शिशियों में बराबर-बराबर प्रत्येक शिशी में 250-250 ग्राम
आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदश्रृंखला भावा(khoya) 1 किलोग्राम को

नगद देकर रसीद प्राप्त की।
किलोग्राम भावा(khoya) वास्तु नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विकेता को
विकेता को बताकर कि दुकान में पार्लीमीन के बैग में लगभग 2.0 किलोग्राम में से 1
मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्तु सूचनाई सुपुर्द कर
पुत्र श्री दलपत सिंह व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील
प्रतियाँ में नियमानुसार भरकर एक.बी.ओ. को सौंपित कर प्रतियाँ में विकेता श्री हनुमान सिंह
फार्म नं. 5 ए में वास्तु नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो

